THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF RAILWAYS (SHRI MAHABIR PRASAD): (a) Some complaints have been received.

(b) The workload is reviewed from time to time and consistent with need, additional counters/staff are provided.

Purchase of Westland helicopters

*19. SHRI KAILASH PATI MISHRA:

SHRI ATAL BIHARI VAJPAYEE:

Will the Minister of CIVIL AVIATION AND TOURISM be pleased to refer to answer to Unstarred Question 1239 given in the Rajya Sabha on the 18th November, 1987 and state:

(a) whether global tenders for the purchase of helicopters were floated and were processed through normal channels; if not, the reasons therefor; if so, the details of evaluation; and

(b) by what calculations the entire operational higher cost and repairs etc. are proposed to be off-set?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF CIVIL AVIATION AND TOURISM (SHRI SHIVRAJ PATIL): (a) An Expert Committee consisting of members from the ONGC and I.A.F. evaluated the helicopters of the required type then available in the world market and narrowed down the choice of helicopters to the following:

1. SA 365 N (Dauphin)-manufactured by Aerospatiale, France.

2. S 70—manufactured by M|s. Sikorsky, USA.

3. Bell 412—manufactured by Bell helicopters USA.

Subsequently, this list was enlarged to include the W-30 helicopter offered by M/s. Westland Helicopters, UK, which was then under development.

After evaluation, SA 365 N Dauphin-2 and Westland-30 helicopters were approved for purchase taking into account the technical, operational and financial aspects.

(b) to off set the higher operational cost of Westland helicopters, an operating subsidy amounting to pound 10 million has been received by Pawan Hans Limited from M|s Westland. This amount was calculated on the basis of comparisons of direct operating cost and the financial and other concessions accompanying the sale offers relating to Westland and Dauphin helicopters.

अंधे व्यक्तियों को छूट

*20. **श्री सन्तोष बागड़ोदिया** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वह सच है कि रेलवे अंधे व्यक्तियों को रेल भाड़ों में छूट देता है;

(ख) यदि हां, तो कब से दे रहा है और उसका प्रतिशत कितना है;

(ग) क्या यह सच है कि रेल मंत्रालय ने हाल ही में अंधे व्यक्तियों को और अधिक सुविधाएं प्रदान की हैं यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या है और क्या उनमें रेल भाड़े में और अधिक छूट दिया जाना भी शामिल है; और

(घ) रेलवे द्वारा अन्धे व्यक्तियों को अन्य किस-किस प्रकार की सहायता दी जाती है?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री महाबीर प्रसाद) : (क) जी हां।

(ख) नेत्रहीन व्यक्तियों के लिए रियायत 1958 से लागू है। इस समय, नेत्रहीन व्यक्ति को अकेले या किसी मार्गरक्षी के साथ यात्रा के लिए पहले

और दूसरे दर्जे में एकल यात्रा टिकट किराये में 75 प्रतिशत तथा पहले और दूसरे दर्जे के सीजन टिकट किराये में 50 प्रतिशत की रियायत अनुमेय है। मार्ग रक्षी भी इस रियायत का पात्र है।

(ग) नेत्रहीन व्यक्तियों को हाल ही में और कोई अतिरिक्त सुविधा नहीं दी गयी है।

(घ) वर्तमान अनुदेशों में इस आशय का प्रावधान है कि नेत्रहीन व्यक्तियों के नियोजन के लिए ग्रुप "सी" और ग्रुप "डी" के पदों की रिक्तियों में एक प्रतिशत रिक्ति उनके लिए रखी जाय।

दिल्ली के अस्पतालों में अपमिश्रित संज्ञाहारी गैस तथा दवाओं का प्रयोग

1. **श्री मोर्जाईर्शादबेग :** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली के उन अस्पतालों का ब्यौरा क्या है जहां अपमिश्रित संज्ञाहारी गैस तथा दवाओं का प्रयोग किए जाने के मामलों की सरकार को हाल में सूचना मिली है;

(ख) उक्त गैस की पूर्तिकर्ता का ब्यौरा क्या है और क्या उसके परिणाम-स्वरूप किसी व्यक्ति की मृत्यु हुई है; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या विशेष कदम उठाए गए हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री मोती लाल वोरा) : (क) सरकार को दिल्ली में किसी भी सरकारी अस्पताल में ऐसे मामले की जानकारी नहीं है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

राजभाषा तथा क्षेत्रीय भाषाओं में इंजीनियरी और मेडिकल की पाठ्य पुस्तकों का तैयार किया जाना

2. **श्री मोर्जा ईर्शादबेग :** क्या **मानव संसाधन विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजभाषा तथा अन्य क्षेत्रीय भाषाओं में इंजीनियरी और मेडिकल की पाठ्य-पुस्तकें तैयार करवाने के लिए क्या उपाय किये गये हैं और कब; और

(ख) उक्त पाठ्य पुस्तकें राजभाषा में कब से उपलब्ध होने लगेंगी?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा और संस्कृति विभागों में राज्य मंत्री (श्री एल० पी० साही) : (क) और (ख) देसी लेखन कला को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से सरकार 1970 से भारतीय लेखकों द्वारा रचित विश्व-विद्यालय स्तर की पुस्तकों के प्रकाशन के लिए सहायता प्रदान करने की एक योजना चला रही है ताकि छात्रों को उचित मूल्यों पर पुस्तकें उपलब्ध कराई जा सकें। इस योजना का कार्य क्षेत्र जो कि आरंभ में केवल अंग्रेजी भाषा में विश्वविद्यालय स्तर की पाठ्य पुस्तकों और संदर्भ पुस्तकों तक ही सीमित था, इस योजना का अब विश्वविद्यालय स्तर की पाठ्य पुस्तकों और संदर्भ पुस्तकों के हिन्दी और अन्य क्षेत्रीय भाषाओं में प्रकाशन के साथ-साथ पालिटेक्निक स्तर की पाठ्य पुस्तकों के हिंदी अंग्रेजी तथा अन्य भाषाओं में प्रकाशन सम्बंधी सहायता हेतु विस्तार कर दिया गया है। सरकार 1968-69 से एक दूसरी ऐसी योजना चला रही है जिसमें भारतीय भाषाओं में विश्वविद्यालय स्तर की पुस्तकों को तैयार करने के लिए इस योजना में भाग लेने वाले 15 राज्य सरकारों में से प्रत्येक को केन्द्रीय सहायता प्रदान की जायेगी।

2. इस योजना के अन्तर्गत भारतीय भाषाओं में तैयार की जाने वाली पुस्तकों की संख्या काफी धीमी रही क्योंकि